

न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)
(समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

आपराधिक प्र.क.: 1290 / 2014

संस्थित दि: 31 / 12 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

विरुद्ध

1. शेख इमरान उर्फ पीरू पिता नबी अहमद कुरैशी, उम्र 32 साल,
निवासी परसवाड़ा थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. कु.अंजुम कुरैशी पिता नबी अहमद कुरैशी, उम्र 28 साल,
निवासी परसवाड़ा थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.)
3. इरफान अहमद पिता नबी अहमद कुरैशी, उम्र 27 साल,
निवासी परसवाड़ा थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.)
4. शिरीष अवाधिया पिता शिवकुमार अवाधिया, उम्र 29 साल,
निवासी परसवाड़ा थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — आरोपीगण

— :: उर्पापण — आदेश :: —

(आज दिनांक 16/01/2015 को उपार्पित किया गया)

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी गणेश मण्डलेकर ने दिनांक 25.10.2014 को आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 05.10.2014 को वह उसकी पत्नी सुनीता एवं उसकी बच्ची प्रतिभा तथा दोस्त का लड़का सतीश के साथ मोटरसायकिल से परसवाड़ा से उसके घर लिंगा तरफ जा रहा था। रात्रि के करीब 9:30 बजे नागरे पान की दुकान के सामने मेन रोड पर पीरू एवं उसका छोटा भाई शानु तथा उसकी बहन अंजुमन कुरैशी व शिरीष अवाधिया ने मिलकर उसकी मोटरसायकिल रोक ली और मिलकर उसे मादर चोद, तेरी मां को चोदू, साले नीच महार जाति की गन्दी-गन्दी गालिया देने लगे और बोले की मादर

चोद बहुत नेतागिरी करता है, छापे बहुत पड़वाता है। उसने उन्हें गाली देने से मना किया तो पीरू ने उसे मोटरसायकिल से नीचे उतारकर उसकी कलार पकड़ ली तथा शानु और शिरीष ने उसे चार-पांच थप्पड़ मारे। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 155/14 अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 294, 323, 34 एवं 3(1)10 एस.सी./एस.टी. एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 294, 323, 34 एवं 3(1)10 एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

(03) उपार्षण पर उभयपक्षों को सुना गया ।

(04) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपीगण पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 294, 323, 34 एवं 3(1)10 एस.सी./एस.टी. एक्ट का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराओं में से 3(1)10 एस.सी./एस.टी. एक्ट माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्षित किया जाता है।

(05) आरोपीगण को धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुसार अभियोग-पत्र की नकलें दी गईं।

(06) उपार्षण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे ।

(07) प्रकरण में आरोपीगण जमानत पर होने से उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष आगामी दिनांक 30.01.2015 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

आदेश मेरे उद्बोधन पर
टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट